RNIMPHIN/2007/21836

सीक्रेट क्राइम

प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष अपराध का आइना

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्रिका

वर्ष–18 अंक–2 मई 2025 पृष्ठ–20 मूल्य रू. 5.00

बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएँ

डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह
सम्पादक

सम्पादकीय . . .

प्रयोगशाला एवं वास्तविक प्रयोग विहीन प्रायोगिक परीक्षा

डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह
शिक्षाविद्

रसायन शास्त्र पदार्थो के गुणों, संरचना, परिवर्तनों और रहस्यों को समझने का अध्ययन करना विज्ञान का महत्वपूर्ण और अनिवार्य पक्ष है। रसायन शास्त्र की जटिलताओं को जानने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ प्रायोगिक ज्ञान एवं कौशल का होना भी अत्यंत आवश्यक है। रसायन शास्त्र प्रयोगशाला, रसायन शास्त्र के छात्र–छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ वे सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते है। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को अपनी आँखों से देखते हैं और वैज्ञानिक विधि के अनुसार प्रयोगों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की विधियों को जानते एवं सीखते है। एक सुसज्जित प्रयोगशाला न केवल छात्र–छात्राओं को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि अवलोकन, विश्लेषण, निष्कर्ष निकालने के साथ ही एक सामूहिक कार्य करने की भावना भी विकसित करती है। रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला विभिन्न प्रकार के अस्थायी एवं स्थायी उपकरणों से भरी होती है, जैसे कि बीकर, फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, फिल्टर पेपर, बर्नर, बैलेंस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि। इन उपकरणों को प्रत्यक्ष रूप से देखना, उन्हें पकड़ना और उनका सही उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो केवल प्रयोगशाला में ही सीखा जा सकता है। रसायन शास्त्र मूल रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन है। प्रयोगशाला में छात्र विभिन्न रसायनों को मिलाते है। उन्हें गर्म करते हैं या अन्य कंडीशन मे होने वाले परिवर्तनों को अपनी आँखों से देखते और समझते है। रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना या ऊष्मा का उत्सर्जन जैसी घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव छात्रों के मन में रासायनिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ विकसित करता है। प्रायोगिक परीक्षा का मूल उद्देश्य छात्र–छात्राओं की उन व्यावहारिक क्षमताओं का आकलन करना होता है। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयो, विश्वविद्यालयो और स्कूलो के प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों और रसायनों के साथ कार्य करते हुए कौशल प्राप्त करते है। ज्यादातर महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य आयोजित कराये बिना ही परीक्षा कराया जा रहा है इससे रसायन शास्त्र अछूता नही है,जो न केवल दुंभाग्यपूर्ण है बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा बना गया है। क्योकि स्नातकोत्तरधारी को बीकर का संज्ञान नही और ना ही दर्शन हुये है। फिर वह स्कूल शिक्षा विभाग मे पात्रता परीक्षा उर्तीण कर नौकरी पाने के बाद क्या शिक्षा देगा ? इसका परीक्षण स्कूलो और कालेजो मे जाकर किया जा सकता है। ऐसी प्रायोगिक परीक्षा, जिसमें छात्र वास्तविक उपकरणों को छू नहीं सकते, रासायनिक पदार्थों के साथ कोई क्रिया नहीं कर सकते और न ही किसी अभिक्रिया को घटित होते हुए देख सकते हैं, वह मात्र एक कल्पना के अनुभवी बनकर रह गये है। प्रश्न तो यही उठता है कि ऐसी प्रयोगिक परीक्षा मे छात्रों को केवल सैद्धांतिक प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ? जिसमें वे किसी काल्पनिक प्रयोग की विधि, अवलोकन और निष्कर्षों का वर्णन करेंगे? बिना प्रयोगशाला के किये जा रहे प्रायोगिक परीक्षा वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त कर दिया है। केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है। रसायन शास्त्र या किसी भी विज्ञान विषय में सफल होने के लिए छात्र–छात्राओं को कई महत्वपूर्ण प्रायोगिक कौशल विकसित करने होते हैं, जैसे कि सटीक माप लेना, रसायनों को सुरक्षित रूप से संभालना, विभिन्न उपकरणों को सही ढंग से जोड़ना, अभिक्रियाओं को नियंत्रित करना और परिणामों को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना। ये कौशल केवल प्रयोगशाला मे वास्तविक प्रयोगों को करने से ही प्राप्त होते थे जिससे छात्रो को दूर कर दिया गया है। प्रयोगशाला छात्रों को वैज्ञानिक विधि का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। वे एक प्रश्न या समस्या से शुरू करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, प्रयोगो की योजना बनाते हैं, डेटा एकत्र करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया छात्रों में आलोचनात्मक सोच, समस्या–समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती थी से वंचित कर दिये जा रहे है। जिसके कारण महत्वपूर्ण अनुभव अधूरा रह जा रहा है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कई खतरनाक रसायन और उपकरण होते हैं, जिनके साथ काम करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति 2020 के पाठयक्रम मे प्रयोगशाला छात्र–छात्राओं को इन सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में पाठयक्रम बनाया गया है लेकिन प्रायोगशाला और प्रयोग विहन परीक्षा से जानने और उन्हें व्यवहार में लाने के अवसर से लगातार वंचित हो रहे है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रयोगशालाओं की स्थापना या रख–रखाव को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। कुछ महाविद्यालयो मे कला या वाणिज्य के शिक्षक प्राचार्य होते है उन्हे प्रायोगिक कार्य फर्जी लगता है जिससे के कारण भी एक समस्या बन गयी है। इन कारणों के बावजूद, रसायन विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय की प्रायोगिक परीक्षा को बिना प्रयोगशाला के आयोजित करना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह न केवल छात्रों के साथ अन्याय है बल्कि उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर भी एक गंभीर प्रश्नचिन्ह है। ऐसा नही है कि मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयो में प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है, जहॉ है खोला ही नही जा रहा प्रयोग कराना तो दूर की बात। केवल प्रायोगिक फाइल लिखकर कर जमा करना जैसे वैकल्पिक उपाय केवल अंक दे सकते है ना कि ज्ञान और कौशल। शासकीय महाविद्यालयों में रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा बिना प्रयोगशाला के आयोजित करना शिक्षा के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। आयुक्त उच्च शिक्षा को इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और सीसीटववही फुटेज सार्वजनिक कराया जाना चाहिये केवल सार्थक एप्प से कुछ हासिल नही होने वाला है।

RNIMPHIN/2007/21836

सीक्रेट क्राइम

प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष अपराध का आइना

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्रिका

वर्ष–18 अंक–2 मई 2025 पृष्ठ–20 मूल्य रू. 5.00

अनुक्रमणिका

1.	योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव....	2
2.	70 अंकों का मूल्यांकन नहीं करन चाहता....	5
3.	व्यक्तिगत अनियमितता के चलते....	7
4.	दल–बदल की राजनीति लोकतांत्रिक....	9
5.	योग्य छात्रों का नुकसान.......	11
6.	सूचना के अधिकार अधिनियम.....	13
7.	आधुनिक राजनीति का स्वर्ग...	14
8.	उच्च शिक्षा विभाग के लिए मज़ाक का.......	16

मंत्री,गुरु और बैधजन जो प्रिय बोले भय आश ।
तो राज धर्म तन तीन कर वेग हो हीये नाश ।।

लेख प्रकाशनार्थ सूचना

पाठकों से,

'सीक्रेट क्राइम' समाचार पत्रिका सभी पाठकों, लेखकों के हाथों में प्रस्तुत है। 'सीक्रेट क्राइम' या यह अंक आप सभी लोगों को कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रियाएँ अवश्य भेजें। आज देश में विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक, धार्मिक, जातिगत इत्यादि अपराध तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं। यह अपराध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं या यू कहें कि हम सभी इसे बढ़ा रहे हैं, जो एक चिंतनीय विषय होता जा रहा है।इसमें वैचारिक लेख, महत्वपूर्ण घटनायें व सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित किये जाते हैं। आप सभी पाठक, लेखक बन्धु देश व समाज से संबंधित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अपराधों के लेख भेज सकते हैं।आप लोगों द्वारा भेजे गये लेख सम्पादक मण्डल द्वारा स्वीकृत होने पर प्रकाशित किया जायेगा। आपके इस सहयोग के लिए पत्रिका परिवार आपका आभारी होगा।

आप सभी अपने विचार, समस्या एवं सुझाव हमें निम्न पते पर भेज सकते है –

डॉ देवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान संपादक
67, ओम शिव नगर, नयापुरा , लालघाटी, भोपाल (म.प्र.), पिन –462020
मो. : 9425608792

सम्पादक
डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह

वरिष्ठ सम्पादक
विनोद कुमार मिश्रा, भोपाल म.प्र.
अधिवक्ता

संवाददाता
बृकेश सिंह यादव, भोपाल
बहादुर सिंह तोमर, भोपाल
इंजी. आर.पी. सिंह
इंजी. संजीव कुमार सिंह, मुम्बई
देवेन्द्र सिंह रायपुरिया, भोपाल म.प्र.
श्रीमती रूपा मिश्रा, शहडोल म.प्र.
आनन्द वर्मा, भोपाल म.प्र.
अभय प्रताप सिंह, कुशीनगर, उ.प्र.
अनिल सिंह, कुशीनगर, उ.प्र.
महेन्द्र प्रताप सिंह, गोरखपुर उ.प्र.
अचल बिहारी दुबे, रायपुर, छ.ग.

प्रशासनिक एवं संपादकीय कार्यालय :
म.नं. 67, ओम शिव नगर, नयापुरा
लालघाटी भोपाल (म.प्र.)पिनकोड–462030
संपर्क : 9425608792
e-mail : secretcrime@rediffmail.com

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक
डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा
ज़ेयन आफसेट वर्क्स प्रिन्टर्स, पुलबोगदा, भोपाल से मुद्रित तथा म.नं. 67, ओम शिव नगर, नयापुरा लालघाटी भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462030 से प्रकाशित।
सर्वाधिकार सुरक्षित

स्टार इन्टरप्राइजेस
कोतवाली रोड, भोपाल मो. 9893857352

नोट : किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सभी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र, भोपाल (म.प्र.) होगा।

इस पत्रिका में कार्यरत् सभी सदस्य अवैतनिक हैं।

योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव

– महेन्द्र प्रताप सिंह
कप्तानगंज, कुशीनगर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, दोनों ही प्रमुख चेहरे हैं। दोनों नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक शैली, समर्थक और चुनौतियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दो ऐसे नाम हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों नेताओं की अपनी–अपनी राजनीतिक शैली, समर्थक वर्ग और मुद्दे हैं, जो उन्हें एक–दूसरे से अलग करते हैं।

अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिससे उन्हें एक मजबूत राजनीतिक विरासत मिली।उनकी राजनीति में युवा मतदाताओं और समाजवादी विचारधारा के समर्थकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अखिलेश यादव को एक अपेक्षाकृत नरम और विकास उन्मुख नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की परम्परागत राजनीति से हटकर विकास को एक मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के भीतर पारिवारिक विवादों और गुटबाजी का सामना करना पड़ा है। उन पर अपनी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भी आलोचनाएँ हुई हैं। अखिलेश यादव को युवा नेतृत्व के रूप में देखा जाता है, जो युवा मतदाताओं को आकर्षित करता है।उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी (सपा), सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर देती है, जो पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच लोकप्रिय है। अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों

के लिए पीडीए राजनीति पर बहुत जोर दिया है। विपक्षी दलों के साथ गठबंधन से उन्हें भाजपा को कड़ी टक्कर देने में मदद मिल सकती है। समाजवादी पार्टी का राज्य में एक मजबूत जमीनी आधार है।

योगी आदित्यनाथ एक हिंदू धार्मिक नेता के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जिससे उन्हें एक मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक समर्थन मिलता है। उनकी राजनीति में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान है। योगी आदित्यनाथ को एक सख्त और निर्णायक नेता के रूप में जाना जा रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। उनकी राजनीति में हिंदुत्व एक प्रमुख मुद्दा है, और वह अपनी स्पष्टवादी शैली के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ पर कभी–कभी उनकी सख्त नीतियों और बयानों के लिए आलोचनाएँ भी होती हैं।योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी हिंदुत्व की राजनीति है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी एक मजबूत हिंदूवादी छवि बनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर को आकर्षित करती है। योगी सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने का दावा किया है, जो उनके समर्थकों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ को एक सख्त प्रशासक के रूप में देखा जाता है, जो उनकी सरकार की दक्षता को दर्शाता है। योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया है।

उक्त दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली और विचारधारा में स्पष्ट अंतर है। अखिलेश यादव जहाँ विकास और सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और हिंदुत्व को प्राथमिकता देते हैं। दोनों ही नेताओं के पास अपना मजबूत वोट बैंक है। अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी का परम्परागत वोट बैंक है, तो योगी आदित्यनाथ के पास भाजपा का संगठित कैडर

और हिंदुत्व का समर्थन है। दोनों ही नेताओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भविष्य में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। दोनों ही नेता अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीती में अपना प्रभाव रखते हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दोनों नेताओं की अपनी–अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। यह कहना मुश्किल है कि राजनीतिक रूप से सबसे अच्छा कौन है, क्योंकि यह मतदाताओं की प्राथमिकताओं और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दूसरे के विरोधी हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास करते रहते हैं। आगामी विधान सभा चुनाव में, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व की राजनीति और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। जबकि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, युवा नेतृत्व और विपक्षी एकता के आधार पर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन से योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर मिल सकती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामो से यह स्पष्ट हो गया है की, अखिलेश यादव के पीडीए राजनीति ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और यह आगामी चुनावो में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। दोनों ही नेताओ के लिए, अपने अपने वोटरों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होगी।

STAR ENTERPRISES

- NEWS MAGAZINE
- BOOK WORK
- NEWS PAPER
- FLEX
- BROCHURE
- CARD PRINTING
- ID CARD
- SUN BOARD
- DIGITAL PRINTING
- DIGITAL SIGN BOARD
- OFFICE STATIONARY
- SCHOOL & COLLEGE
- ATTENDANCE REGISTER

& ALL TYPE PRINTING WORKS

LAILA BURJ ROAD, ITWARA, BHOPAL

MOB. : 9893857352

70 अंकों का मूल्यांकन नहीं करना चाहते हैं बाह्य परीक्षक?

डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह
शिक्षाविद्

किसी भी शैक्षणिक प्रणाली में सैद्वातिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों के ज्ञान और कौशल का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। परैक्टिकल परीक्षाएं, विशेष रूप से विज्ञान और तकनीकी विषयों में, छात्रों की व्यावहारिक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ मामलों में, बाहरी परीक्षकों द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे है। बाहरी परीक्षक, जिन्हें किसी अन्य संस्थान से निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए आमंत्रित किया जाता है, परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित की जा रही है। कुछ स्वार्थी बाहय परीक्षक, शिक्षक, डायरेक्टर आदि द्वारा धोखाधड़ी के कई तरीके अपनाए जा रहे है।

कुछ कालेज बाहय परीक्षको के नाम पर परैक्टिकल शुल्क लेकर अधिकतम अंक देने के लिये अवैध शुल्क वसूल करते है ? जबकि बाहय परीक्षको पैसा देना तो दूर यदा कदा चाय बिसकिट करा देते है। बाहय परीक्षक किसी विशेष महाविद्यालयो के प्रति पक्षपातपूर्ण होते जा रहे है। इसका एक कारण शायद अनुचित लाभ हो सकता है या भाई–भतीजावाद या अन्य व्यक्तिगत संबंधों के कारण हो सकता है।

बाहय परीक्षकों में नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है इसका कारण है कि स्वय के कालेज मे ही प्रायोगिक कार्य और नियम विरूद्व परीक्षा कराना। इसका कारण है प्रयोगशाला विहिन कालेजो को नियम विरूद्व दिये गये संबद्वता वाले कालेज मे परीक्षा कराना। फलस्वरूप अपने बचाव मे जो भी लिफाफा मिल जावे स्वीकार करने लगते है? और मान्यता और संबद्वता देने वाले विभाग और विश्वविद्यालय को बचाने के लिये व्यक्तिगत लाभ के लिए परीक्षा की पवित्रता को भंग कर दिया गया है। बाहय परीक्षकों का चयन मे चेयरमैन अनुभव के बदले अनियमित्ता करने वालो को प्राथमिकता देते है। अनियमित्ता का यहर आशय प्रायोगिक परीक्षा को सैद्वातिक रूप मे कराना से है। फलरूवरूप योग्य बाहय परीक्षक कालेज तक पहॅुच ही नही पाते। बाहय परीक्षक पैनल के नाम पर जो

प्रति

दिनांक 14/5/2023

श्रीमान कुलपति जी,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल.

विषयः अवैधानिक तरीके से आयोजित प्रायोगिक परीक्षाओ की निष्पक्ष जॉच एवं विधिक कार्यवाही वावत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयार्तगत निवेदन है कि प्रभारी प्राचार्य/केन्द्र अधीक्षक और विभागाध्यक्ष तथा वाहय परीक्षको की मिली भगत से चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीहोर मे बीएससी तृतीय वर्ष रसायन शास्त्र के नियमित छात्रो का प्रायोगिक परीक्षा एक ही दिन मे कई बैच बनाकर सामूहिक रूप से नियम विरूद्व आयोजित किया गया, जो बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परीक्षा नियम/ मान्यता प्राप्त परीक्षा नियम 1937 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश के अनुसार प्रति बैच 60 छात्र एक साथ परीक्षा दे सकते है और एक दिन मे 02 बैच (12 घंटा) का परीक्षा कराया जा सकता है।

1– रसायन शास्त्र विषय द्वारा जारी सूचना के अनुसार दिनांक 2/5/2023 को सुबह 10.00 से प्रथम बैच और दोपहर 02.00 से द्वितीय बैच मात्र 4 घण्टे के अंतराल पर नियम विरूद्व आयोजित किया गया। पता चला है कि वाहय परीक्षक भी एक ही दिन आयी और सभी छात्रो का परीक्षा कराया गया। वायवा हुआ कि नंही भी जॉच मे लिया जावे। रसायन शास्त्र विषय के प्रायोगिक परीक्षा की समायावधि 6 घण्टे वर्णित है। सूचना पत्र संलग्न।

2– वाहय परीक्षक किस–किस दिन आया/आयी के आने 'जाने की पुष्टि कालेज/प्रयोगशाला और कालेज मे लगे सीसीटवही फुटेज के रिकाडिंग से भी किया जा सकता है। सत्यता की पुष्टि पत्र/पर्ण पत्र से किया जा सकता है। साथ ही अलग–अलग बैंच 20–20 के छात्रो के कथन का सैम्पल भी लिया जा सकता है।

3– महमहिम और उच्चशिक्षा विभाग द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की रिकार्डिग की सीडी विश्वविद्यालय मे जमा करवाया जावे अन्यथा उक्त आदेश औचित्यहीन मानकर शून्य करवाने की कृपा करे ।

अतः महोदय से निवेदन है कि अवैधानिक तरीके से आयोजित किये गये प्रायोगिक परीक्षाओ की निपक्ष जॉच कराकर संबधित के विरूद्व कार्यवाही करने की कृपा करे।

धन्यवाद,

सलंग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय
14/5/23
डॉ.देवेन्द्र प्रताप सिंह
शिक्षाविद एवं व्हिसिल ब्लोअर,
पताः मकान नं. 67,ओम शिव नगर,लालघाटी,
भोपाल, म.प्र.,पिन–462030 ,मोबा–9425608792

18/05/2023
BHOPAL
1320
18/5/2023
14/7/23

अवैधनिक कार्य किये जाते है किसी से छिपा नही है। सत्यनिष्ठा और अनुभव को प्राथमिकता के साथ ही बाहरी परीक्षकों को भूमिका, जिम्मेदारियों और नैतिक आचरण का अभव देखने को मिल रहा है।

प्रायोगिक परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग को निष्क्रीय करने के कई बहाने बनाये जाते है जैस कि लाइट नही है कैमरा खराब था आदि। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त निगरानी की कमी भी धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रही है सीसीटवी का फुटेज तक जमा नही किया जा रहा है अगर जमा किया जा रहा है तो विश्वविद्यालय प्रशासन देने से बचता है अन्यथा सत्यता सबके सामने आ जाता औश्र सुधार होता। इसके कारण अयोग्य छात्र बेहतर अंक प्राप्त कर रहे है और योग्य छात्रों के अवसर कम आ रहे है। आजकल प्रायोगिक परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष नही रही जिसके कारण शैक्षणिक मानकों में गिरावट आ गयी है और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो गयी है। प्रायोगिक परीक्षाओं के नाम पर गोरखधंघा से छात्रों, अभिभावकों और आम जनता का शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा प्रणाली पर से विश्वास उठ गया है क्योकि अभिभावक और छात्र स्वय बता रहे है कि कालेज मे कभी गये ही नही ? फिर भी प्रायोगिक परीक्षा मे अच्छे अंक मिल ही बया है।

छात्र–छत्राओं एवं अभिभवको और अन्य सामजिक हितधारकों के लिए धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने का कोई प्रभावी तंत्र नही बनया जाता है क्योकि सरकार की बदनामी होगी। धोखाधड़ी में लिप्त पाए जाने वाले बाहरी परीक्षकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग बचाने मे लगा जाता है। आंतरिक और बाहरी परीक्षकों पहले ही समझौता कर लेते है कि मै एक दिन आउगा और दो दिन का हस्ताक्षर कर दूगॉ ? या मात्र एक घंटे के लिये आउगा ? प्रायोगिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बाहरी परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। छात्रों, शिक्षकों, संस्थानों और नियामक निकायों सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि एक ऐसी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित की जा सके जो निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हो।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) पिन : 462026 फोन.न.0755–2517068

क्रमांक 931 /लो.सू.प्र./ब0वि0वि0/2023 भोपाल, दिनांक 27/07/23
प्रति,
प्राचार्य
शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीहोर म0प्र0।

विषयः-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक डॉ0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, भोपाल म0प्र0 द्वारा चाही गई जानकारी का आवेदन पत्र अंतरित करने के संबंध में।

संदर्भः-आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2023 जो लोक सूचना प्रकोष्ठ ब0वि0वि0 को दिनांक 05.07.2023 को प्राप्त हुआ। लोक सूचना प्रकोष्ठ, ब0वि0वि0 का प्रकरण क्रमांक 181

उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत डॉ0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, शिक्षाविद एवं व्हिसिल ब्लोअरमकान नं. 67, ओम शिव नगर, गुफा मंदिर रोड नयापुरा, लालघाटी भोपाल म0प्र0 द्वारा चाही गई जानकारी शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीहोर म0प्र0से संबंधित होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र आपकी ओर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उपरोक्त जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराते हुए, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सूचित करने का कष्ट करे। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि गोपनीय शाखा ब0वि0वि0 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक डॉ0 देवेन्द्र प्रताप सिंह चाही गई जानकारी आपके महाविद्यालय शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीहोर म0प्र0 से संबंधित है जिसके संबंध में महाविद्यालय को पत्र क्रमांक 400/गोपनीय/2023 भोपाल दिनांक 25.07.2023 के द्वारा वांछित जानकारी आवेदक के आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्रानुसार उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। तदानुसार अवगत होवे।

संलग्न- आवेदक के आवेदन पत्र की छायाप्रति
एवं गोपनीय शाखा द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति
(कुल पृष्ठ संख्या 03)

लोक सूचना अधिकारी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

पृ0 क्रमांक 932 /लो.सू.प्र. ब0वि0वि0/2023 भोपाल, दिनांक 27/07/23
प्रतिलिपिः-
1 माननीय कुलपतिजी के निज सचिव के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
2 माननीय कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
3 डॉ0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, शिक्षाविद एवं व्हिसिल ब्लोअरमकान नं. 67, ओम शिव नगर, गुफा मंदिर रोड नयापुरा, लालघाटी भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
4 लोक सूचना कार्यालय नस्ती।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

व्यक्तिगत अनियमितता के चलते एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने के फेक सबूत गढ़े जा रहे

– डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह, शिक्षाविद्

भारत गणराज्य के अलावा किसी भी देश का संविधान अपने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान मे भी इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रमुख है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने और दंडित करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य इन समुदायो के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। मध्य प्रदेश में, और देश के अन्य हिस्सों में भी, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ शासकीय सेवक पर इस महत्वपूर्ण कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। जब लोक सेवक, जो कानून के संरक्षक माने जाते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति या समूह को झूठे अत्याचार के मामलों में फंसाते हैं, तो यह न केवल कानून के मूल उद्देश्य को विफल करता है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इनमें शारीरिक हमला, यौन उत्पीड़न, अपमानित करना जैसे कृत्य शामिल हैं। शासकीय अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। वे इन अपराधों की जांच करने, पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब यही शासकीय सेवक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। शासकीय सेवको द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग कुछ मामलों में, शासकीय सेवक व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक लाभ या अन्य निहित स्वार्थों के चलते अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को झूठे अत्याचार के मामलों में फंसा सकते हैं। वे झूठे सबूत गढ़े जा रहे है।

शासकीय सेवक ड्यूटी के दौरान अपने पद का इस्तेमाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए कर सकते हैं, भले ही कोई औपचारिक मामला दर्ज न किया गया हो। कुछ मामलों में, सत्तारूढ़ दल के अधिकारी या उनके समर्थक इस अधिनियम का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों से संबंधित लोगों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। झूठे मामलों में फंसाकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सकता है और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सकता है।

राजनीतिक आकाओं या शक्तिशाली व्यक्तियों के दबाव में, अधिकारी किसी विशेष व्यक्ति या समूह को निशाना बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। वित्तीय लाभ या अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ अधिकारी कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं।

कुछ मामलों में, अधिकारी कानून की गलत व्याख्या कर सकते हैं या अनजाने में ऐसे कार्य कर सकते हैं जो दुरुपयोग की श्रेणी में आते हैं। जब शासकीय सेवक अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग करते हैं, तो इसके पीड़ितों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं । झूठे आरोपों का सामना करना, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करना पीड़ितों के लिए गंभीर मानसिक और भावनात्मक आघात का कारण बन सकता है। झूठे मामलो मे फसाए जाने से पीड़ितों और उनके परिवारों को सामाजिक बहिष्कार और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है और उन्हें समुदाय मे अलग–थलग महसूस हो सकता है। कानूनी लड़ाई लड़ने, अदालतों में पेश होने और वकीलों की फीस भरने में पीड़ितों को

भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, तो वे अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। जब अधिकारी जानबूझकर जांच में देरी करते हैं या निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं, तो पीड़ितों को न्याय मिलने में लंबा समय लग सकता है या उन्हें न्याय से वंचित भी किया जा सकता है। जब कानून के रक्षक ही कानून का दुरुपयोग करते हैं, तो पीड़ितों का न्याय प्रणाली और सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। शासकीय अधिकारियों को अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और इसके दुरुपयोग के संभावित परिणामों के बारे में नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें मानवाधिकारों और निष्पक्ष व्यवहार के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। अधिकारियों के कार्यों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। दुर्व्यवहार के आरोपों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए।

अदालतों को अत्याचार के मामलों की सुनवाई करते समय सतर्क रहना चाहिए और सरकारी सेवक द्वारा दुरुपयोग की संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि दुरुपयोग के कोई संकेत मिलते हैं, तो उन्हें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। नागरिक समाज संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता पीड़ितों को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करने और सरकारी सेवक के दुर्व्यवहार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो अत्याचार निवारण अधिनियम में ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं जो इसके दुरुपयोग की संभावना को कम करें और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करें।यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सुधार कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर न करें। मध्य प्रदेश में, जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, शासकीय सेवक द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए और दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इसमें शासकीय सेवकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और दुर्व्यवहार के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है।

आजकल सूचना का अध्किार अधिनियम के तहत जानकारी मागने पर भी एट्रोसीटी एक्ट मे फंसाने के फेक सबूत गढ़े जा रहे। इसका उहारण भोपाल मे अनिगिनत मिल जायेगे।

अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचारों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। हालांकि, जब शासकीय सेवक अपने पद का दुरुपयोग करके इस कानून का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को फंसाने या उन्हें परेशान करने के लिए क रहे हैं, तो यह न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन होता है। मध्य प्रदेश में, और पूरे देश में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस कानून का उपयोग वास्तव में पीड़ितों की रक्षा के लिए किया जाए, न कि शक्ति के दुरुपयोग या व्यक्तिगत स्वार्थों को साधने के लिए। इसके लिए जागरूकता, जवाबदेही, पारदर्शिता और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है तभी यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून के रक्षक ही कानून के दुरुपयोगकर्ता न बनें और अधिनियम के दुरउपयोग को रोका जा सकता है।

दल-बदल की राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक

– विनोद कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, भोपाल

भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, राजनीतिक स्थिरता और शुचिता बनाए रखना एक सतत चुनौती रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए समय–समय पर विभिन्न कानूनी उपाय किए गए हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उपाय है दल–बदल विरोधी कानून, जिसे 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों में टूट और विधायकों के पाला बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना था, जिससे सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। कई दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद, यह बहस अब भी जारी है कि क्या दल बदल कानून ने वास्तव में भारतीय राजनीति को अधिक स्थिर और नैतिक बनाया है, या इसके कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं जो देश की राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। दल–बदल देश की राजनीति को कमजोर कर रहे हैं। दल बदल कानून का एक प्रमुख नकारात्मक पहलू यह है कि यह कई बार लोकतांत्रिक जनादेश का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है। दल बदल कानून का एक और महत्वपूर्ण नुकसान यह है कि यह जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और उनके विधायी विवेक को सीमित करता है। इस कानून के तहत, यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत सदन में वोट करता है या पार्टी की सदस्यता त्याग देता है, तो उसे अपनी सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। इस प्रावधान के कारण, विधायकों को अक्सर अपनी पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों का आँख मूंदकर पालन करना पड़ता है, भले ही वे किसी विशेष मुद्दे पर अलग राय रखते हों या उन्हें लगे कि पार्टी का रुख उनके क्षेत्र के मतदाताओं के हितों के विरुद्ध है। जब कोई विधायक किसी विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतता है, तो वह उस दल की विचारधारा, नीतियों और चुनावी वादों के प्रति मतदाताओं का विश्वास जीतकर सदन में पहुँचता है। उसके बाद व्यक्तिगत लाभ या अन्य कारणों से अपनी पार्टी बदल लेता है, तो यह उस मतदाता के विश्वास के साथ धोखा हो जाता है जिसने उसे उस विशेष दल के प्रतिनिधि के रूप में चुना था। मतदाता किसी उम्मीदवार को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में भी वोट देते हैं जिसकी वह सदस्यता रखता है। दल–बदल की स्थिति में, विधायक न केवल अपनी पार्टी से विश्वासघात करता है। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव को कमजोर कर रही है और मतदाताओं के मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है। यह स्थिति जनप्रतिनिधियों को कठपुतली की तरह बना देती है, जो अपनी व्यक्तिगत सोच और अपने मतदाताओं की जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। संसदीय लोकतंत्र में, यह उम्मीद की जाती है कि जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और सदनों में स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करेंगे। दल बदल कानून इस मूलभूत सिद्धांत के विपरीत काम करता है और विधायकों को पार्टी के आलाकमान के दबाव में बंधे रहने के लिए मजबूर करता है। जब विधायकों को पार्टी लाइन से हटकर वोट करने की अनुमति नहीं होती है, तो सदन में होने वाली बहस और चर्चा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक और आलोचनात्मक चर्चा के बजाय, अक्सर यह देखा जाता है कि विधायक केवल अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करते हैं, भले ही उन्हें उस नीति या कानून में कमियां नजर आती हों। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना जाए और उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। दलबदल कानून के कारण, असहमति की आवाजें दब जाती हैं और विधायक अपनी पार्टी के डर से खुलकर अपनी राय व्यक्त करने से कतराते हैं। इससे कानूनों और नीतियों पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार त्रुटिपूर्ण या जनविरोधी निर्णय लिए जाते हैं। उक्त कानून को राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। ऐसे कई

उदाहरण सामने आए हैं जब राजनीतिक दलों ने इस कानून की कमियों का फायदा उठाकर या अन्य तरीकों से सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया है। कई बार यह देखा गया है कि पार्टियां विधायकों को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाती है। इसके अलावा, कानून में विलय से संबंधित प्रावधान का भी दुरुपयोग किया गया है, जहां बड़ी संख्या में विधायकों को एक साथ दल बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि अयोग्यता से बचा जा सके। दल बदल कानून राजनीतिक अस्थिरता का कोई स्थायी समाधान साबित नहीं हुआ है। इसने विधायकों के खुले तौर पर पाला बदलने की प्रक्रिया को जटिल जरूर बना दिया है, लेकिन राजनीतिक जोड़ तोड़ और सरकार गिराने के अन्य तरीके अभी भी मौजूद हैं। उक्त कानून का एक अप्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव यह हुआ है कि इसने अवसरवादी राजनीति को और बढ़ावा दिया है। अब विधायक व्यक्तिगत लाभ या मंत्री पद की लालसा में खुले तौर पर पाला बदलने के बजाय, पर्दे के पीछे से सौदेबाजी करते हैं और अपनी पार्टी पर दबाव बनाते हैं ताकि उन्हें मनचाहा पद या लाभ मिल सके। पार्टी नेतृत्व भी कई बार अपनी सरकार को बचाने या अन्य राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे विधायकों की मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। यह स्थिति राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और सत्ता को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का एक साधन बना देती है। जब विधायकों को पार्टी लाइन से अलग राय व्यक्त करने या वोट करने की अनुमति नहीं होती है, तो पार्टी के भीतर स्वस्थ बहस और असहमति की संस्कृति कमजोर होती है। पार्टी नेतृत्व अक्सर अपने विधायकों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है। विधायकों को अपनी राय व्यक्त करने या पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है, जिससे पार्टी की निर्णय लेने की प्रक्रिया एकाधिकारवादी और अलोकतांत्रिक हो सकती है। कानून की व्याख्या और इसके विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन को लेकर भी समय–समय पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, जिसके कारण अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाइयां चलती हैं। यह स्थिति न केवल न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालती है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया में भी अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति पैदा करती है। भारतीय राजनीति में दल बदल की घटनाएं और उनसे जुड़ी कानूनी और राजनीतिक खींचतान अक्सर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियां बनती हैं। एक ऐसे देश में जहां जनप्रतिनिधि आसानी से पाला बदल लेते हैं और सरकारें अस्थिर बनी रहती हैं, वहां विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास कम हो सकता है। लगातार होने वाले राजनीतिक दल बदल और उससे जुड़े विवाद मतदाताओं के मन में राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति मोहभंग पैदा कर सकते हैं। जब मतदाता देखते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं और राजनीतिक दल सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उनका लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वास उठने लगा है। जिसके कारण मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को कम कर सकती है और राजनीतिक उदासीनता को बढ़ावा दे रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। सत्ताधारी दल अक्सर अपने विरोधी दलों के विधायकों को डरा–धमकाकर या प्रलोभन देकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें। इसका उदारण महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश ,झारखड़ मे देखने की मिला है। उक्त नियम न केवल लोकतांत्रिक जनादेश का उल्लंघन करता है और जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को सीमित करता है, बल्कि यह बहस और चर्चा की गुणवत्ता को भी कम करता है और अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, यह राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र का हनन करता है, कानूनी और संवैधानिक जटिलताएं पैदा करता है, विदेशों में भारत की राजनीतिक छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, मतदाताओं का मोहभंग करता है और इसके दुरुपयोग की भी संभावना बनी रहती है। एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, सदन में सार्थक बहस हो, राजनीतिक स्थिरता लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता किए बिना सुनिश्चित की जा सके, और मतदाताओं का राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास बना रहे।

योग्य छात्रों का नुकसान

मेडिकल कॉलेज प्रवेश के नाम पर धोखाधड़ी कब तक

मेडिकल कॉलेजों की मंहगी शिक्षा और पदों की संख्या के कारण में एमबीबीएस और एम.एस.,ए..डी. मे प्रवेश के लिये अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र मे लाखों छात्र मेडिकल कॉलेजों में सीट हासिल करने की उम्मीद में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा देते हैं। ज्यादतर मेडिकल कालेज व्यवसायिक घराने या उधोगपति या ऐसे लोगो के द्वारा संचालित किया जा रहा है जिनका मकशद केवल पैसा कमाना रह गया है साथ ही ब्लैक्मनी को हवाइट करना। जैस कि बिना शिक्षक कालेज चलाना और वेतन बचाकर या वेतन वापस लेकर धन बनाना। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये कड़ी प्रतियोगिता मे कई बार असफल हाने के बाद लोग दलालों, ऐजेटों के चक्कर मे पड़ कर कैसे भी प्रवेश लेने का प्रयास करते है जिसका फायदा कभी कभी मिलता भी है इसी का फायदा उठाते है अवैध दलाल, ऐजेंट या फर्जी प्रवेश दिलाने वाला गिरोह। कुछ बेईमान व्यक्ति और शासी निकाय अनुचित साधनों से छात्रों को प्रवेश दिलाने का वादा करके धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज प्रवेश में कालेजो द्वारा कई तरह की धोखाधड़ी की जाती है। कुछ कालेजो या उनके एजेंट नीट में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों से संपर्क करते हैं और उन्हें सीधे प्रवेश दिलाने का झूठा वादा करते हैं। वे छात्रों और उनके माता पिता से मोटी रकम वसूलते हैं और बाद में प्रवेश दिलाने में विफल रहते है। कुछ मेडिकल कॉलेज डोनेशन या विकास शुल्क के नाम पर छात्रों से अत्यधिक पैसे की मांग करते है। जबकि विकास शुल्क की कोई आवश्यकता नही होती है। विकास शुल्क एक तरह की जबरन वसूली है और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। धोखाधड़ी करने वाले शासी निकाय फर्जी प्रवेश पत्र, आवंटन पत्र या अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार करके छात्रों को धोखा देते हैं। ये दस्तावेज देखने में असली लगते है, लेकिन कॉलेज के रिकॉर्ड में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कुछ मामलों में, कालेज असली छात्रों की सीटों को उन छात्रों को आवंटित कर देते हैं जिन्होंने इसके लिए भारी रकम चुकाई है। कुछ कालेज छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने में मदद करते हैं, जैसे कि प्रश्न लीक करना या डमी उम्मीदवार बैठाना। जिससे पूरी प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्षता को खतरे में पड़ जाता है। कॉलेज प्रशासन जानबूझकर कॉलेज की सुविधाओं, शिक्षकों या संबद्ध अस्पतालों के बारे में अधूरी या गलत जानकारी देकर छात्रों को गुमराह करते हैं। प्रवेश के बाद छात्रों को वास्तविकता का पता चलता है, जिससे वे ठगा हुआ महसूस करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ, धोखाधड़ी करने वाले अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्रों को निशाना बना रहे हैं।

प्रवेश मे धोखाधड़ी के कारण योग्य और मेहनती छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं, जबकि कम योग्य लेकिन धनी छात्र अनुचित साधनों से सीटें हासिल कर लेते हैं। जब अयोग्य छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश कर लेते है उसके बाद वे लोग चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते है। ऐसे डॉक्टर समाज के लिए खतरनाक साबित हो रहे है। धोखाधड़ी के शिकार छात्रों और उनके परिवारों को भारी वित्तीय नुकसान होता है। दलालो या भ्रामक विज्ञापन के आधार पर प्रवेश लेकर लाखों रुपये गंवा देते हैं और उन्हें कोई सीट भी नहीं मिलती। प्रवेश न मिलने पर छात्रों को मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है। धोखाधड़ी का शिकार होने पर यह और भी बढ़ जाता प्रवेश के नाम पर ठगे गए छात्र और उनके परिवार विरोध प्रदर्शन इस लिये नही करते है कि उनके द्वारा दिया गया पैसा भी सोत्र नही होता जिसके पास होता है वही शिकायत करता है। कम से कम ऐसे छात्रों और उनके माता–पिता को प्रवेश प्रक्रिया, फर्जी वादों और धोखाधड़ी के सामान्य तरीकों के बारे में जागरूक करना

चाहिये जो इसका शिकार हुये है जैसे कि व्यापम, नर्सिंग आदि। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान लोग सभी नियमों, प्रक्रियाओ, शुल्क संरचना और सीटों के आवंटन के मानदंडों को नजरअंदाज कर प्रवेश के लिये किसी भी कगज पर हस्ताक्षर करने के साथ ही गलत शपथ पत्र भी देते जबकि प्रवेश हो ना हो लेकिन पूर्ण नियम भी पढना चाहिये। केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाओं के कारण भी बढा है। अलग अलग राज्य की ऐंजेसी होने से फर्जीवाडी की सम्भवना कम होती है और जल्दी पकड़ जाते है। छात्रों और उनके माता–पिता के लिए कोई प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नही किया जाना भी संदेह को जन्म देतो है। प्राप्त शिकायतों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेजों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रवेश नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। लेकिन नही किया जाता है। बिना शिक्षको के नियुक्ति देकर भी घोखाधड़ी किया जाता है। पिछले सालएक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के दौरान ईडी ने पूर्व प्रिंसिपल की रिश्तेदार के घर से 200 से अधिक आंसर शीट बरामद कीं। यह मामला पैसे लेकर परीक्षा में पास कराने से जुड़ा था। नेरुल पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के नाम पर दो पीड़ितों से 77 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने वाले छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों ने कॉलेज के फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल करके नकली प्रवेश पत्र जारी किए थे। फरवरी,2025 में, प्रवर्तन निदेशालय ने एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े 6 पीड़ितों को 89.75 लाख रुपये वापस दिलाए। आरोपियों ने नीट लागू होने के बाद भी एमबीबीएस, पीजी कोर्स में प्रवेश दिलाने का वादा करके छात्रों से पैसे वसूले थे। अप्रैल 2025 में, रायपुर में निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा नीट का बड़ा मामाला बिहार मे भी आया था। प्रवेश के बिना सीधे 60 से 85 लाख रुपये में प्रवेश का झांसा देने के मामले सामने आए। जिससे स्पट है कि मेडिकल कॉलेज प्रवेश में धोखाधड़ी एक गंभीर समस्या बनी हुई है और इससे निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज प्रवेश में की जाने वाली धोखाधड़ी न केवल योग्य छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है बल्कि मेडिकल शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कम कर दिया है। आयुष्मान घोटाला भी इसका एक उदाहरण है। जागरूकता, पारदर्शिता, सख्त कानूनी कार्रवाई और तकनीकी समाधानों का उपयोग करके देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और प्रवेश प्रक्रिया मे धोखाधड़ी से आम नागरिक को बचा सकते है। इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम कार्य करना चाहिये।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अतिक्रमण है डीपीडीपी एक्ट 2023

भारत में डिजिटल युग के साथ–साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता भी तेजी से बढ़ी है। जिसको देखते हुए वर्ष भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सक्षिप्त मे डीपीडीपी एक्ट,2023 पारित किया। यह कानून नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, लेकिन इसका प्रभाव केवल डेटा कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के साथ ही पत्रकारिता पर भी प्रतिबंध अघोषित लगायेगा। उक्त अधिनियम का उद्देश्य है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी नागरिक का व्यक्तिगत डेटा उसकी स्पष्ट सहमति के बिना एकत्र, संग्रहित या उपयोग न करे। जबकि कोई भी एप्प डाउनलोड करें तो सभी कार्य के लिए अनुमति देना होता है। सवाल यह है कि मकान नम्बर, पता, मोबाइल नंबर, शोशल मिडिया एडमिन और समूह तथा जिस दस्तावेज पर नौकरी तथा वेतन दिया जाता है वह इसमें क्यों बचाया जा रहा है...? लेकिन शासकीय अभिलेख और सूचना जिस पर शासकीय धन खर्च होता है और शासकीय नियम और कानून का पालन सेवकों के लिए आवश्यक है को भी गोपनीयता का सहारा लिया जायेगा। जब पत्रकार आरटीआई कार्यकर्ता एवं विहसल ब्लोअर कोई अभिलेख मांगता है और प्रकाशित या सार्वजनिक करता है, तो वह आमतौर पर कई लोगों की निजी जानकारियों तक पहुँचता है। यदि हर बार सहमति लेनी पड़े, तो भ्रष्टाचार, घोटाले या सत्ता के दुरुपयोग जैसी रिपोर्टों को सामने लाना मुश्किल हो जाएगा।

आरटीआई कार्यकर्ताओ को चुनौती डीपीडीपी एक्ट,2023के तहत शसकीय पक्रिया का मुख्या भग औश्र अनिवार्य अळिोलखो को भी जैसे कि जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, वित्तीय जानकारी आदि को व्यग्तिगत डाटा के नाम पर लोगो के अनुमति बिना सार्वजनिक करना दंडनीय करने को सीधा सा अर्थ है कि सुचना के अध्किार पर अतिक्रमण कर रोक दस्तावेजो की पहुच तक रोक लगाना। फिर कोई भी अभिलेख नहीं मिलेगा क्योंकि सभी में पत्राचार का माध्यम मोबाइल नंबर, ईमेल प्रयुक्त होता है। अब सोचिए यदि कोई आरटीआई कार्यकर्ता किसी सम्भावित घोटाले का अभिलेख मांगता है, जिसमें किसी अधिकारी या कॉर्पोरेट संस्थान की गोपनीय जानकारी उजागर करनी हो, तो यह कानूनी अभिलेख देने से मना कर देगा। साथ ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की स्वतंत्रता बाधित हो जायेगा। पत्रकारिता का एक मूल सिद्धांत है कि वह अपने सूत्रों की पहचान गोपनीय रखता है। लेकिन यदि किसी मामले में डेटा उपयोग को लेकर पत्रकारों से रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उनके सूत्रों की पहचान सामने आ सकती है। इससे पत्रकारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और संभावित सूत्र सामने आने से डरेगे और अवैधनिक कार्य सबके सामने नही आ सकेगा। डीपीडीपी एक्ट,2023 के नाम पर सभी संस्थानों को डेटा फिडूशरी की तरह मानता है, जिससे उन्हें यूजर की जानकारी को सुरक्षित रखने, सही उपयोग करने और डेटा उल्लंघन से बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया हाउसों को अब अपने डेटा हैंडलिंग सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा, जिससे उनकी लागत और कानूनी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। उक्त कानून में कुछ 'वैधानिक अपवाद के नाम पर अभिलेख सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। डीपीडीपी एक्ट,2023एक महत्वपूर्ण कानून है जो नागरिकों की निजता को संरक्षित करने के नाम पर सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर एवं समाप्त करना चाहती है। लेकिन इसकी आड़ में यदि सूचना तक पहुंच और पत्रकारिता की स्वतंत्रता, विशेषकर खोजी पत्रकारिता, पर अंकुश लगाया गया, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। उक्त डीपीडीपी एक्ट,2023 के नाम पर को लागू करते समय साक्ष्य अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम तथा पत्रकारिता की संवेदनशीलता को समझा जाए, और आरटीआई कार्यकर्ता को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा दी जाए, ताकि वे बिना भय के सच का अभिलेख जनता के सामने ला सकें।

आधुनिक राजनीति का स्वर्ग बनता जा रहा है श्वेत पोश अपराध

किसी भी देश की आधुनिक राजनीति, सिद्धांतों और ऊँचे आदर्शों दावों का माखौल उड़ाते हुए के श्वेत पोश अपराध के लिए एक उपजाऊ भूमि साबित हो रही है। यह एक विडंबना है कि जिन संस्थानों को ईमानदारी, पारदर्शिता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है, वे अक्सर ऐसे व्यक्तियों द्वारा हेरफेर किए जाते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ एवं पद के लिए राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। श्वेत पोश अपराध की विशेषता यह है कि यह अक्सर धोखे, विश्वासघात और सत्ता के दुरुपयोग पर आधारित होता है। राजनीतिज्ञ और शासकीय सेवक महत्वपूर्ण पदेन शक्ति और प्रभाव रखते हैं। वे कानूनों को बना सकते हैं, नीतियों को लागू कर सकते हैं, और सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन कर सकते हैं। यह शक्ति भ्रष्ट आचरण के लिए प्रलोभन पैदा करती है, खासकर जब जवाबदेही और पारदर्शिता के तंत्र कमजोर एवं लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा हो। राजनीतिक में भारी मात्रा में धन शामिल होता है। चुनाव अभियानों के वित्तपोषण से लेकर सरकारी अनुबंधों और सब्सिडी, राजनीतिक लाभ के लिए योजनाये। इन वित्तीय लेन देन पर नियंत्रण भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते है।उच्च सामाजिक स्थिति और राजनीतिक सम्मान वाले व्यक्तियों द्वारा उनके व्यवसाय या पेशे के दौरान किए गए गैर वित्तीय एवं आपराधिक मामले को इंगित करता है। इनमें धोखाधड़ी, गबन, रिश्वतखोरी, अंदरूनी व्यापार, कर चोरी और अन्य जटिल योजनाएं शामिल है। जटिल कानूनों एवं नियमों द्वारा अर्थव्यवस्था चलाये जाते है संचालित है जो इन कानूनों एवं नियमों अधिनियम ,नियमों का उल्लंघन करने और कानूनी परिणामों से बचने के तरीका खोजने में माहिर हैं।

नेता एवं शासकीय सेवक अपने आधिकारिक कार्यों के बदले में व्यक्तिगत लाभ, जैसे कि धन, उपहार या धन की मांग करते या स्वीकार करते हैं। यह सरकारी अनुबंधों को प्रदान करने से लेकर कानूनों को लागू करने तक कई तरह की स्थितियों है।यह गबन, धोखाधड़ी वाले अनुबंध या अनावश्यक परियोजनाओं के माध्यम से होता है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक खजाने को लूटना है। चुनाव अभियानों के वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी और चुनावी कानूनों का उल्लंघन भ्रष्ट आचरण के अवसर पैदा करता है। इसमें अवैध दान स्वीकार करना, काले धन को सफेद करना या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना शामिल हो सकता है। राजनीतिक के अलावा आजकल कार्यपालिका को प्रदत्त शक्ति का उपयोग ऐसी नीतियों को आकार देने के लिए किया जाता है जो कुछ व्यक्तियों या निगमों को अनुचित लाभ प्रदान करती हैं। राजनीतिक प्रभाव का उपयोग सार्वजनिक भूमि या प्राकृतिक संसाधनों को निजी लाभ के लिए अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार सार्वजनिक धन को निजी हाथों में स्थानांतरित करता है, जिससे विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी हो जाती है और आर्थिक विकास बाधित होता है। यह असमानता को बढ़ाता है और गरीबी को कम करने के प्रयासों को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास को कम करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। जब नागरिक मानते हैं कि उनके नेता भ्रष्ट हैं, तो वे राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग हो सकते हैं

और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना कम हो सकती है। आजकल नोटा मे किये गये मतदान इसका उदाहरण है। भ्रष्टाचार संसाधनों के असमान वितरण और सार्वजनिक सेवाओं तक असमान पहुंच की ओर ले जाता है। राजनीति में श्वेत पोश अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत करना, नियामक एजेंसियों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना, और हितों के टकराव को रोकने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है। शासकीय कार्यव्यवहार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना, और भ्रष्ट आचरण के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व पर जोर देने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने, और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिए किया जा सकता है।

केवल भारत ही नही अपितु अन्य देशो में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। विकिलिक्स इसके प्रमाण भी देता है। जिसके कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं जो इस मुद्दे की गहराई को उजागर करते हैं। हीरा व्यापारी नीरव मोदी द्वारा कथित तौर पर किया गया एक बड़ा बैंकिंग घोटाला, जिसमें राजनीतिक सांठगांठ की भी जांच चल रही है। भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार की व्यापकता और जटिलता को दर्शाते हैं। इन घोटालों ने न केवल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है बल्कि सार्वजनिक विश्वास को भी गहरा आघात पहुंचाया है। राजनीति में श्वेत पोश अपराध के दूरगामी और हानिकारक हैं। राजनीति में श्वेत पोश अपराध एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है,जो लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को कमजोर कर रही है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के कई उदाहरण इस समस्या की व्यापकता को दर्शाते हैं। इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी, नैतिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे बहुआयामी उपाय आवश्यक हैं।

उच्च शिक्षा विभाग के लिए मज़ाक का विषय बना प्रदेश का युवा वर्ग : घर बैठे हो रहा है विद्यार्थियों का सतत् मूल्यांकन

– डॉ. संदीप सबलोक, शिक्षाविद्, सागर

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में बैठे निकम्मे रणनीतिकार नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पर पिछले 4 साल से प्रदेश के युवाओं के साथ कोरा मजाक कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट और नियमित परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से समग्र सतत मूल्यांकन, फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप तथा कोई एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अनिवार्यता रखी गई है। यहां पहला सवाल यह उठता है कि जब प्राइवेट परीक्षार्थी महाविद्यालय से सीधे तौर पर संबंधित ही नहीं रहता है तो उनका समग्रता से सतत यानी कि नियमित मूल्यांकन करने के लिए क्या महाविद्यालयों के प्रोफेसर घर–घर जाएंगे ? इतना ही नहीं रेगुलर परीक्षार्थियों के समान ग्रेजुएशन की सभी कक्षाओं में इन्हें फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप जैसी प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है! इसमें भी सवाल उठता है कि जब महाविद्यालय से इनका कोई नियमित संपर्क ही नहीं रहता है तो ऐसे परीक्षार्थी अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने के लिए किस से मार्गदर्शन लेंगे ???

शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी महाविद्यालयों में ब्ब्म् परीक्षाएं तथा चे.क के पेटर्न पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया गाइडेंस के अभाव में औपचारिकता बन कर रह गई है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में औपचारिक खानापूर्ति कर उन्हें अंक दिए जा रहे हैं!

नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पर शुरू किए गए तकनीकी व रोजगार मूलक विषयों योग, जैविक खेती, व्यक्तित्व विकास, एनसीसी, एनएसएस, जैसे 188 विषयों में से अधिकांश विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। जिस कारण इन विषयों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी विषय का ज्ञान नहीं मिलने के कारण उनमें विषयों में फैल होकर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ते हुए उच्च शिक्षा से ही पलायन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने की 4 साल की अवधि तक पहुंचते पहुंचते रेगुलर एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक तिहाई से भी नीचे आकर बेहद नगण्य और शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई है। इस प्रक्रिया से प्रदेश में ऐसे डिग्रीधारी युवाओं की फौज तैयार हो रही है जिन्हें अपने विषयों का व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। ऐसे में लगता है कि शासन की ही है मंशा है कि प्रदेश का युवा उच्च शिक्षा से पलायन कर पूरी तरह शिक्षित न हो सके और सरकार से कभी रोजगार मांग ना पाए।

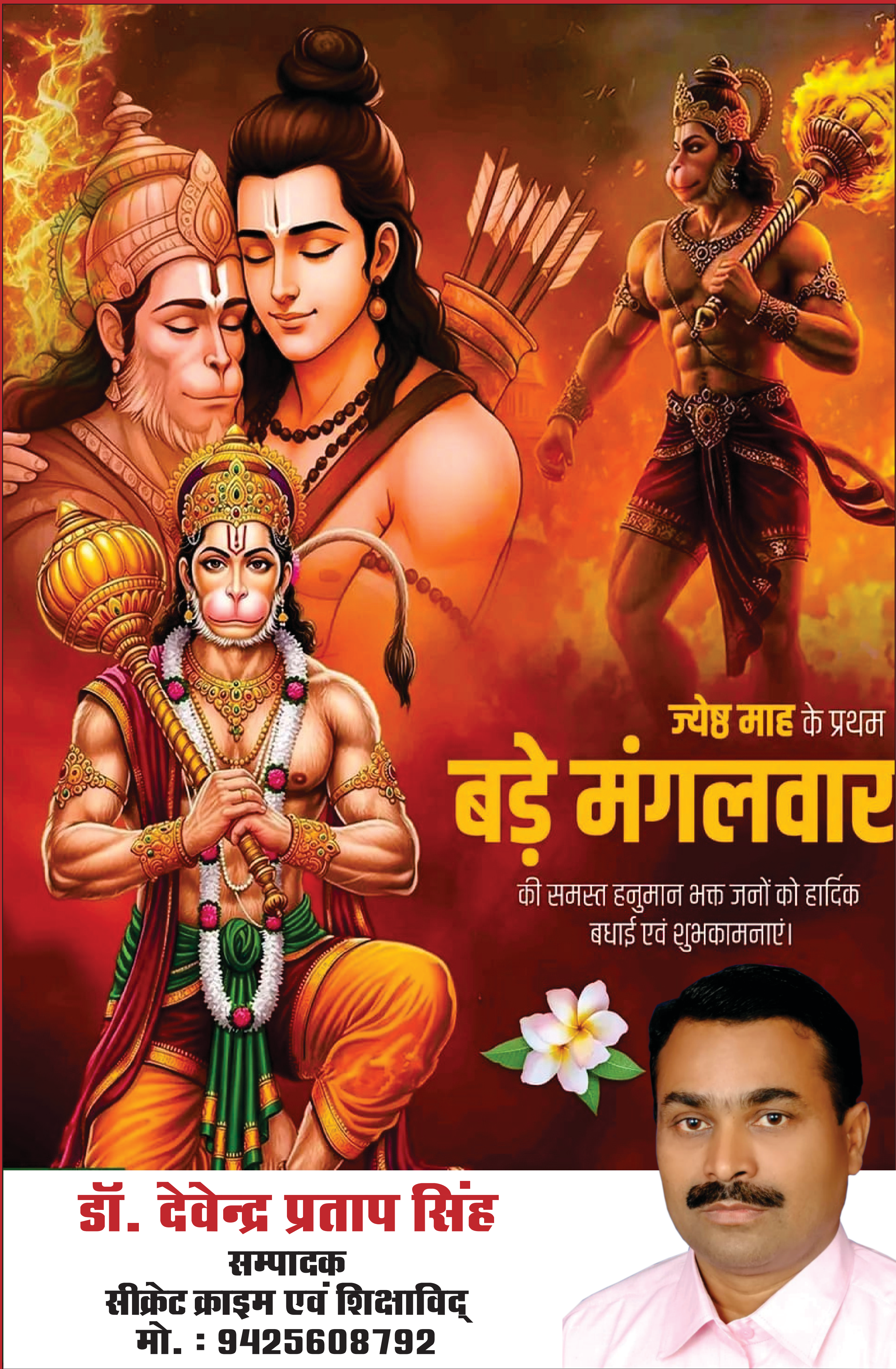

ज्येष्ठ माह के प्रथम
बड़े मंगलवार
की समस्त हनुमान भक्त जनों को हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं।
डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह
सम्पादक
सीक्रेट क्राइम एवं शिक्षाविद्
मो. : 9425608792

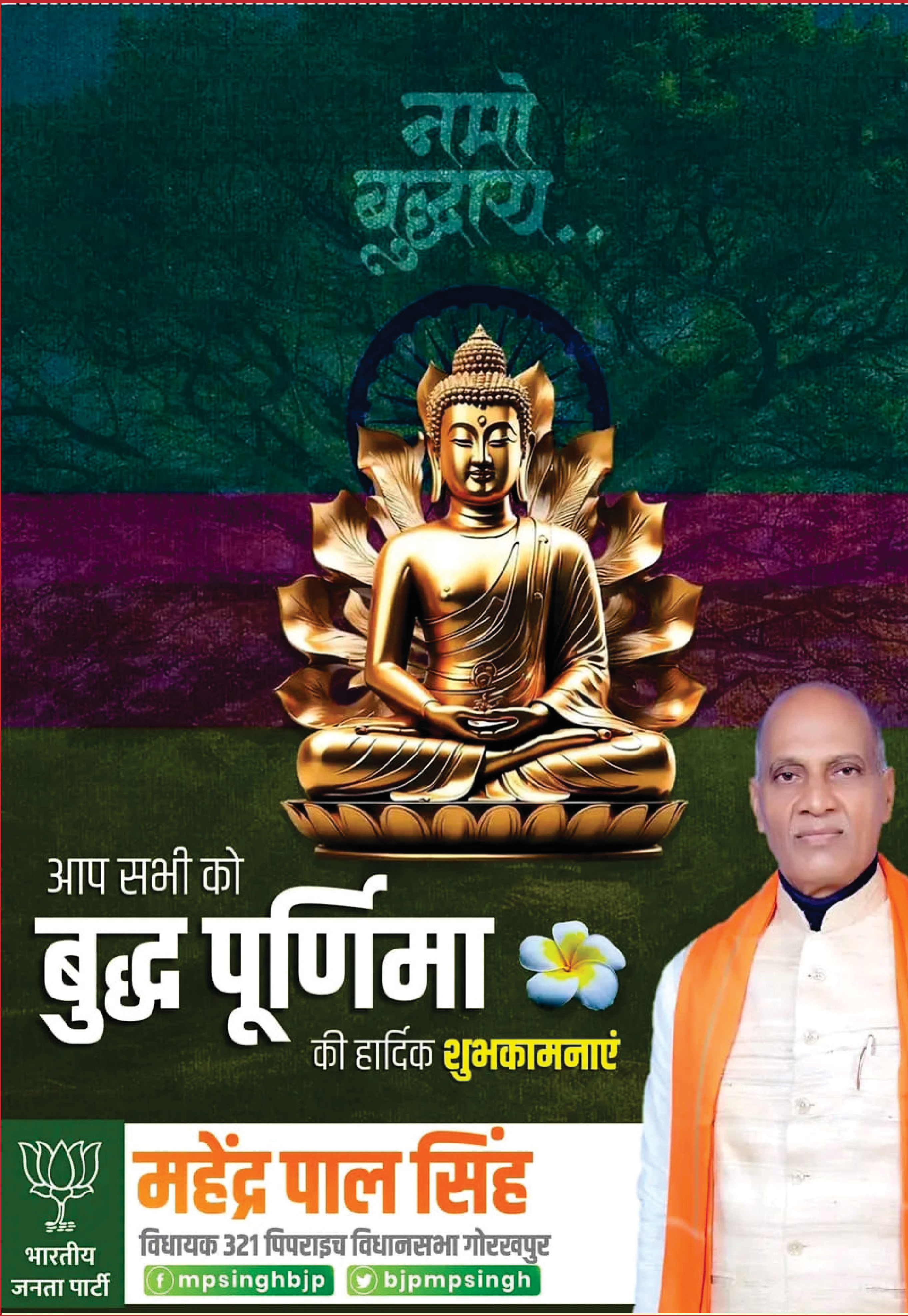
नमो बुद्धाय..
आप सभी को
बुद्ध पूर्णिमा
की हार्दिक शुभकामनाएं
महेंद्र पाल सिंह
विधायक 321 पिपराइच विधानसभा गोरखपुर
mpsinghbjp
bjpmpsingh
भारतीय
जनता पार्टी